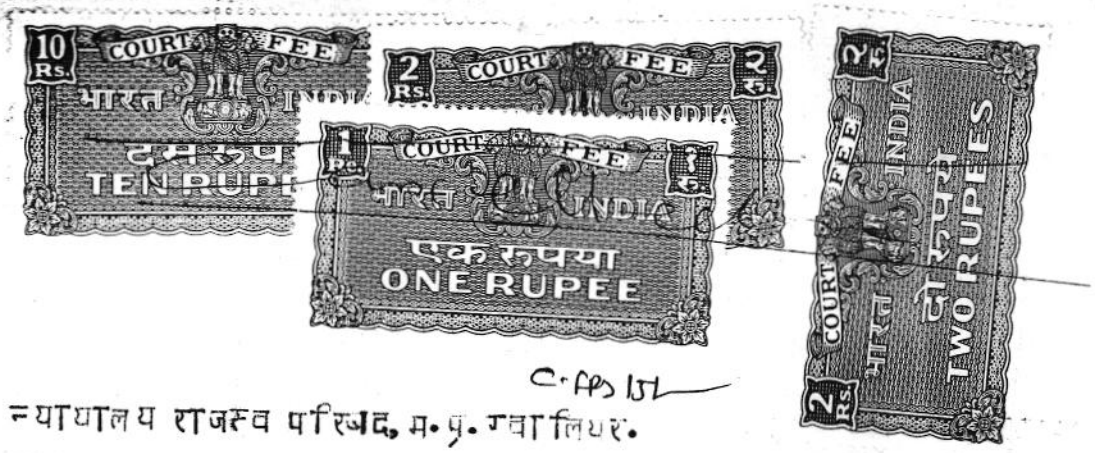

(9)

C-FPS 152

न्यायालय राजस्व परिषद, म.प्र. ग्वालियर.

===================================

प्र.क्र. R. 237-I/09

प्यारेलाल पिता बालु जी घोसी,
निवासी मन्दसौर .... आवेदक

विरूद्ध

राजेन्द्र पिता रामचन्द्र जी पालीवाल
निवासी मन्दसौर ... अनावेदक

श्री प्रकाश शर्मा एडवोकेट
द्वारा आज दि. 26.2.09 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

रिविजन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भु.राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर के अपील क्रं. 102/अपील/07-08 में पारित दिनांक 31.12.08 से परिवेदित होकर जो न्यायालय तहसीलदार महोदय मंदसौर के प्रकरण क्रमांक 32/अ-6/07-08 में पारित आदेश दिनांक 11.7.2008 के विरूद्ध पेश की थी।

===

माननीय महोदय,

निगरानी के आधार.
================

(1) यह कि आदेश अन्तगत रिविजन विधि एवं प्रक्रिया के सवर्था प्रतिकुल होकर स्थिर रहने योग्य नहीं है।

(2) यह कि रिस्पा. ने छोटीबाई वि. बालकिशन के मध्य सिविल न्यायालय वाद चल रहा होने के दौरान न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा जारीकी कि बालकिशन भूमि को विक्रय, रहन, किसी भी प्रकार से अन्तरण नहीं करें किन्तु बालकिशन ने दौराने वाद रिस्पा. को भूमि विक्रय कर दी जिसे अतिरिक्त सिविल जज महोदय वग-02 मंदसौर के प्रकरण क्रमांक .5.5.A.05.. में अनावेदक के पक्ष में किये गये विक्रय ...

आरेखाली/ सर्वोदे

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(10)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 237/I/09 जिला - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनु. अधिकारी मंदसौर के प्रकरण क्रमांक 102/अपील/07-08 में पारित आदेश दिनांक 31-12-08 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर मंदसौर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.19 को कलेक्टर मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	